निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 10/अपील/18 तारीख दायरा 06.02.2018

उनवान अपील

01. मांगीलाल पिता कंवरलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
02. भंवरलाल पिता बालाराम जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
03. सादीलाल पिता भंवरलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
04. मोहनलाल पिता भंवरलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
05. दिनेश कुमार पिता भवंरलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
06. सुल्तान पिता भवंरलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
07. शोभाराम पिता मांगीलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
08. कारूलाल पिता मांगीलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
09. रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
10. बालचन्द पिता मांगीलाल जाति भील नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
11. अर्जुनसिंह पिता गुगाराम जाति मेहर नि0 भमेसर तहसील रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश
12. प्रभूलाल पिता कान्हा जाति मेघवाल नि0 राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा
13. राधेश्याम पिता भवंरलाल जाति मेघवाल नि0 राजपुरा तहसील पिड़ावा
14. रामलाल पिता भंवरलाल जाति मेघवाल नि0 राजपुरा तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

01. मदनलाल आ0 भूणाजी जाति धाकड़ नि0 राजपुरा बुजर्ग तहसील पिड़ावा
02. कन्हैयालाल पिता मदन लाल जाति धाकड़ नि0 राजपुरा बुजर्ग तहसील पिड़ावा
03. मानसिंह पिता मदनलाल जाति धाकड़ नि0 राजपुरा बुजर्ग तहसील पिड़ावा
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 22.11.2017 न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा मिसल न0 02/2017 मदनलाल वगै0 बनाम मांगीलाल।

उपस्थितः— श्री मूलचन्द मीणा अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री धमेन्द्र सिंह झाला अभिभाषक रेस्पो0
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 22.05.2018

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 22.11.2017 जो प्रकरण संख्या 02/2017 पर अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि रेस्पो0 द्वारा न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा में प्रा0पत्र में पेश किया कि ग्राम राजपुरा बुजुर्ग तहसील पिड़ावा अी आराजी ख0न0 210,208,211,267/208 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उक्त आराजी पर आने जाने बेलगाड़ी समद ट्रेक्टर ट्राली कृषि औजार पशु आदि लाने ले जाने का रास्ता ख0न0 86,87,84,85,205,206 के मध्य स्थित है तथा यह रास्ता मोरम वाले रास्ते से जो पीडब्ल्यूडी सड़क से कलोतिया एंव भटखेड़ा जाता है इस रास्ते से खसरा न0 ख0न0 86,87,85,84 के पूर्व में तथा ख0न0 205,206 के पश्चिम में अर्थात मध्य में रास्ता उत्तर से दक्षिण में जाकर रेस्पो0 के खसरा न0 पर पंहुचता है उक्त रास्ते पर अपीलान्ट द्वारा लगाये गये अस्थायी रोक कांटे बागेर या अन्य कोई रूप से लगाये गये अवरोध को हटवाकर रेस्पो0 का रास्ता खुलाया जावे, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रह सार तथा कानून के विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स गरीब अनुसूचित जन जाति परिवार के सदस्य है,प्रकरण में मिलीभगत कर प्रकरण में एक्स पार्टी करवाकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 22.11.2017 को करवा दिया जो गलत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की और से अभिभाषक श्री धमेन्द्र सिह झाला उपस्थित हुए ।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है, अपीलान्ट्स को साक्ष्य का कोई मोका नही दिया गया व एक तरफा कार्यवही कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स की आराजी पर से रास्ता खुलाने का आदेश गलत किया गया है । अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया गया कि रेस्पो0 की आराजी पर पहुंचने का रास्ता अपीलान्ट्स द्वारा रोक दिया जाने पर उसके द्वारा नियमानुसार तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष आवेदन किया जाने पर तहसीलदार द्वारा बाद सुनवाई नियमों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किया गया है जो उचित है। अपील ख़ारिज की जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 दिनांक 16.02.2017 को प्रस्तुत किया जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 16.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई की दिनांक 09.03.2017 तय की गई व अगली सुनवाई की तिथी अर्थात 09.03.2017 को अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील बताकर अनुपस्थिति दर्शायी गई है व दिनांक 23.03.2017 को उनके विरूद्ध Exparties किया जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रार्थी में तारीख नियत किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दर्शित है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अप्रार्थीगण को जो तलवी हेतु नोटिस भिजवाये गये हैं उनमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी स0 11 अर्जुनसिंह को तामील हेतु भिजवाये गये नोटिस बाद तामील या अदम तामील प्राप्त होने बाबत कोई सूचना नही है साथ ही अप्रार्थीगण को जो नोटिस की तामील करवाई गई है उनमें किसी गवाह के हस्ताक्षर भी नही है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रा0पत्र के पेरा न0 5 में अंकन किया हुआ है कि '' ख0न0 206 के खातेदार राधेश्याम,कमलीबाई,बालाराम मेघवाल वगै है परन्तु कुछ समय पूर्व राधेश्याम ने खसरा न0 206 का कुछ हिस्सा पश्चिम दिशा का जो प्रार्थीगण के रास्ते से लगा है इसका बैचान अप्रार्थीगणों को किया है परन्तु दोनो की जाति अलग होने से विक्रय पत्र का पंजीयन अन्य व्यक्ति अर्जुनसिंह आ0 गंगाराम मेहर नि0 ग्रम भमेसर अप्रार्थी संख्या 11 के नाम से किया गया है'' । जब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथाकथित अवैध बेचान बाबत तथ्य प्रकट हो जाने के उपरान्त भी उक्त अप्रार्थी सं0 11 को तामील नही होने के बावजूद भी तामील बताई जाकर एकतरफा कार्यवाही की गई है जिसे किसी भी सूरत में उचित नही ठहराया जा सकता। चूंकि किसी भी आराजी पर पंहुच हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर सुखाचार के तहत तहसीलदार को रास्ता खुलासा कराने के अधिकार तो हैं किन्तु विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर नियमों के परिपेक्ष्य में यह कार्य किया जावे तो न्याय हित में है। प्रकरण में पुनः जांच व सुनवाई करवाया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार तहसील पिड़ावा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर अपने स्तर पर पटवारी व निरीक्षक भू अभिलेख से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर नियमों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.06.2018 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा यह पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़